राजस्थान–सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

119566-98

क्रमांकः– एफ.11(3) (मों)/बजट घोषणा/मरम्मत./ICDS/2016/ जयपुर, दिनांकः 9-9-16

जिला कलक्टर,
समस्त

विषयः–माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 121 के अनुसार राजकीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों की मरम्मत के प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 121 के अनुसार राजकीय भवनों में संचालित अधिकांश आंगनबाडी केन्द्रों के रख–रखाव व सुदृढीकरण का कार्य आगामी तीन वर्षो में 75 करोड रूपये की लागत से करवाया जाना है।

उक्त बजट घोषणा के क्रम में विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए राशि रूपये 40.00 करोड के कार्य करवाये जाने है। वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में प्रथमतः आपके जिले में संचालित बाल विकास परियोजनाओं के अधीन संचालित वे आंगनबाडी केन्द्र, जिनके भवन टूटी–फूटी अवस्था में है, जिनकी छत टपकती है एवं वृहद् मरम्मत कार्य करवाया जाना है, उनके परियोजनावार प्रस्ताव जिला स्तर पर संकलित करवाकर प्रस्तुत करवाये जाने अपेक्षित है। ताकि तद्नुसार वित्त विभाग को वांछित प्रस्ताव भिजवाये जा सकें।

जिले से प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों के क्रम में यह सुनिश्चित करावे कि परियोजना स्तर से ऐसी आंगनबाडी कार्यो के मरम्मत कार्य को प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जावें, जिनमें मरम्मत की अत्यधिक आवश्यकता है।

उक्त मरम्मत कार्य के लिए कार्यकारी एजेन्सी पंचायती राज संस्थाएं होगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी, अपने परियोजना परिक्षेत्र के ऐसे आंगनबाडी केन्द्रों को चिन्हित कर उनके मरम्मत के तकमीने पंचायत समिति के तकनीकी अधिकारी से तैयार करवाकर जिला कार्यालय को प्रेषित करेंगे, जिनको जिला स्तर पर परियोजनावार संकलित कर, उप निदेशक के माध्यम से निदेशालय को अग्रेषित किया जाएगा।

इस संबंध में पूर्व में भी विभागीय पत्र क्रमांकः– एफ.11(3)(मों)/बजट घोषणा/मरम्मत./ICDS/2016/SPL-1 दिनांकः 19.08.2016 के द्वारा अनुरोध किया गया था। वांछित सूचना आदिनांक तक अप्राप्त है।

अत आपसे पुनः अनुरोध है कि आपके जिले के अधीन संचालित मरम्मत योग्य आंगनबाडी केन्द्रों के वांछित प्रस्ताव दिनांक 15.09.2016 से पूर्व प्रेषित कराने के सम्बन्ध में आपके स्तर से भी जिला परिषद, पंचायत समिति एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करावे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावे।

(कुलदीप रांका)
शासन सचिव

119598-120244

क्रमांकः– एफ.11(3) (मों)/बजट घोषणा/मरम्मत./ICDS/2016/ जयपुर, दिनांकः 9-9-16

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
2. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग समस्त।
3. विकास अधिकारी, पंयायत समिति समस्त।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं समस्त।
5. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक